# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 (फाल्गुन 27, शक सम्वत् 1937)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 21 ) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 187 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 178 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

### 2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधान सभा क्षेत्र के मकरोनिया चौराहे से बड़ेरिया तिगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाने,

(2) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में मृतकों के आश्रितों को एक समान मुआवजा न दिये जाने,

(3) श्री घनश्याम पिरोनियां, सदस्य की भाण्डेर क्षेत्र में तीर्थ योजना का लाभ बुजुर्गों को न मिलने,

(4) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य की सोहागपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योजना के तहत स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण न होने,

(5) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की इछावर क्षेत्र में ग्रामीण सड़क का निर्माण न किये जाने,

(6) श्री विष्णु खत्री, सदस्य की भोपाल-बैरसिया सड़क मार्ग के अपूर्ण होने,

(7) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवढ़ा क्षेत्र के ग्राम किटाना से नीमडांढा तक पहुंच मार्ग का निर्माण न किये जाने,

(8) श्री जितू पटवारी, सदस्य की प्रदेश में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में आयु सीमा न बदले जाने,

(9) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के संशोधित समयमान वेतनमान में विसंगतियां होने तथा

(10) श्री सचिन यादव, सदस्य की जिला खरगोन के नर्मदा नदी पर बने बांध के लोगों को पुनर्वास न किये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

### 3. शून्यकाल में उल्लेख

#### (1) बुरहानपुर में अवैध उत्खनन रोकने गये अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया जाना

श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "सरकार के निर्णयानुसार व शासन के निर्देशानुसार कल बुरहानपुर में प्रशासन के अधिकारी जब अवैध उत्खनन रोकने गये तब वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एसडीएम व अन्य अधिकारी मुश्किल से जान बचाकर वापस आ पाये. आसंदी के माध्यम से शासन से अनुरोध है कि इसमें एक उच्चस्तरीय जांच दल गठित करके सप्ताह भर में दोषियों का पता लगायें और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो ताकि बुरहानपुर का जनजीवन सामान्य बना रहे और आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगे".

#### (2) मुरैना जिले में खनिज माफियाओं द्वारा वनरक्षक पर रेत का डंपर चढ़ाने एवं भिण्ड जिले में गोलीचालन संबंधी घटनाओं पर चर्चा की मांग की जाना

डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि - "मुरैना जिले में नरेन्द्र शर्मा नाम के वनरक्षक को खनिज माफियाओं द्वारा रेत का डंपर चढ़ा के मार डाला. लगातार ऐसी घटनाएँ प्रदेश में हो रही हैं. भिण्ड में गोलीचालन में भी लोग घायल हुए हैं. आसंदी से अनुरोध है कि कृपया इसको चर्चा में ले लें".

#### (3) उज्जैन में महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने और टीकमगढ़ में महिला को पंचायत द्वारा सामूहिक रूप से प्रताड़ित कर चरित्र हनन का आरोप लगाने के बाद महिला द्वारा आत्महत्या की जाना

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि - "दो घटनाएँ दो दिन पहले हुई हैं. उज्जैन में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और टीकमगढ़ में एक महिला को पंचायत द्वारा सामूहिक रूप से प्रताड़ित कर चरित्र हनन का आरोप लगाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली. महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं न घटें इसके लिए प्रशासन द्वारा योजना बनाई जए".

**(4) राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में विद्युत मण्डल द्वारा घटिया स्तर का कार्य किया जाना**

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि - "राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में विद्युत मण्डल द्वारा तार हटाकर केबल लगाने का कार्य घटिया स्तर का होने के कारण आये दिन केबल एवं बक्सों में आग लग रही है. वहां अभी शिवरात्रि का मेला लगा हुआ है, उसमें 11 मार्च को एक दुकान जल गयी और बड़ी जनहानि होने से बच गई है. वहां घरों के मीटर जबर्दस्ती बदले जा रहे हैं जिससे आये दिन विवाद की स्थिति बन रही है. इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है".

**(5) गंजबासौदा तहसील में कल अनुसूचित जनजाति के दो बच्चों को जला कर मारा जाना एवं उनके माता-पिता को बंधक बनाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जाँच दल गठित कर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाना**

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि - "कल गंजबासौदा तहसील में अनुसूचित जनजाति के दो बच्चों को जला कर मार दिया गया और उनके माता-पिता को बंधक बना लिया गया. मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उच्च स्तरीय जाँच दल गठित कर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए".

**(6) जबलपुर में कल अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर हुए खूनी संघर्ष में कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने के कारण हड़ताल की जाना**

सर्वश्री तरूण भनोत एवं नीलेश अवस्थी, सदस्यगण द्वारा यह उल्लेख किया गया कि - "जबलपुर में कल अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर हुए खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. उसमें आरोप लग रहा है कि सत्तापक्ष के मंत्री और दूसरे पक्ष से विधायक, के गुटों के बीच में संघर्ष हुआ है. 3 दिन से जबलपुर में बस सेवाएँ बंद हैं, हड़ताल चल रही है. इस कारण हजारों लोग परेशान हो रहे हैं. इसका संज्ञान लिया जाए".

**(7) सुवासरा विधान सभा के शामगढ़ क्षेत्र में कल मध्यरात्रि को ट्रेक्टर शोरूम में आग लगने पर फायर ब्रिगेड समय पर न पहुंचने से नगर पंचायत की लापरवाही की जांच की जाना**

श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि - "सुवासरा विधान सभा के शामगढ़ क्षेत्र में कल मध्यरात्रि को श्री हरिवल्लभ पोरवाल सोनालिका ट्रेक्टर शोरूम में आग लगी है. एक करोड़ का नुकसान हुआ है. उसका मुख्य कारण यह रहा कि नगर पंचायत में जो दो फायर ब्रिगेड पड़ी हैं, एक में डीजल नहीं था और एक में पानी नहीं था. शासन इसकी जाँच करवाएँ".

**(8) रीवा जिले की फोर लेन हनुमना-मऊगंज-रीवा रोड पर अत्यधिक दुर्घटनाएं होना**

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि - "रीवा जिले में फोर लेन हनुमना-मऊगंज-रीवा रोड है जिसमें आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं और वहाँ पर ऐसे मोड़ हैं. जैसे बौती, मऊगंज पटेहरा, खटखरी, हनुमना सलैया आदि हैं, कल भी एक पेपर बेचने वाले कुशवाह परिवार के लड़के का एक्सीडेंट हुआ. कई दर्दनाक दुर्घटनाओं में मौतें हो चुकी हैं. मैं सरकार का ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूँ कि वहां ओव्हर ब्रिज का निर्माण हो".

**(9) कलदा और शामगिरी के पहाड़ों पर अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की जाना**

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा यह उल्लेख किया गया कि – "कलदा और शामगिरी के पहाड़ों पर पिछले दिनों एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी. हत्या का कारण पता नहीं लगा है और लोग यह कहते हैं कि यह हत्या कलदा शामगिरी के पहाड़ पर जो अवैध उत्खनन है उसके संघर्ष को लेकर है. मैं सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों एक पूरा का पूरा अवैध क्रेशर वहाँ पर पकड़ा गया जो पाँच साल से चल रहा था. पूरे पहाड़ पर अवैध उत्खनन चल रहा है मेरे ध्यानाकर्षण की सूचना भी आपके पास लंबित है. सरकार इसको संज्ञान में ले और आवश्यक कार्यवाही करे".

**4. पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राज्य का वित्त),

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का (राजस्व क्षेत्र पर) प्रतिवेदन वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्रमांक-3 तथा

(v) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर) वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-4, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री ने आयुक्त, नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(3) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का तृतीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखे.

## 5. ध्यान आकर्षण

(1) श्री कैलाश चावला एवं प्रदीप अग्रवाल, सदस्यगण ने नीमच जिले में कृषि हेतु पुजारियों को मुआवजा राशि न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी एवं सिंगरौली जिले में पेयजल संकट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

## 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवें प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

| क्रमांक | अशासकीय संकल्प क्रमांक | माननीय सदस्य | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|
| 1. | (क्रमांक –12) | कुंवर विक्रम सिंह | 15 मिनट |
| 2. | (क्रमांक –17) | डॉ. गोविन्द सिंह | 30 मिनट |
| 3. | (क्रमांक – 18, 25, 52, 53, 54, 55, 63) | सर्वश्री दिव्यराज सिंह, शंकरलाल तिवारी, महेश राय, निशंक कुमार जैन, वीर सिंह पंवार, कल्याण सिंह ठाकुर, अशोक रोहाणी | 45 मिनट |
| 4. | (क्रमांक –41 ) | श्री विश्वास सारंग | 1 घण्टा |

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने याचिका समिति का तीसवां, इक्तीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पचासीवां से नब्बेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(2) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल शहर)
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(4) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(5) श्री रामपाल सिंह (ब्योहारी) (जिला-शहडोल)
(6) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(7) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(8) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(9) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(10) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(11) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(12) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(14) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(15) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(16) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(17) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(18) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला- रीवा)
(19) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(20) श्री गोविंद सिंह पटेल(जिला-नरसिंहपुर)

(21) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी(जिला-खरगोन)
(22) श्री घनश्याम पिरोनियां(जिला-दतिया)
(23) श्रीमती उमादेवी खटीक(जिला-दमोह)
(24) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(25) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(26) श्रीमती चंदा सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(27) श्री आशीष गोविंद शर्मा (जिला-देवास)
(28) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(29) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(30) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(31) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(32) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(33) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(34) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(35) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(36) श्रीमती ललिता यादव (जिला-छतरपुर)
(37) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोकनगर)
(38) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(39) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(40) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(41) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(42) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(43) श्री विजयपाल सिंह (जिला-होशंगाबाद)

## 8. अध्यक्षीय घोषणा

### शासकीय विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखकर आज ही पुर:स्थापन करने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद 6 के उपपद (1), (2) तथा (3) में उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट, अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है.

## 9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापन किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापन किया.

(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापन किया.

## 10. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि जैसा कि "कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा था कि महिला बाल विकास की चर्चा में इस सदन की जो हमारी सम्मानीय महिला सदस्य है यदि वही चर्चा करेंगी तो उचित रहेगा क्योंकि यह महिला वर्ष भी है. आज दोनों पक्ष सहमति दें तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि जब ये चर्चा चल रही हो तो सभापति तालिका में अगर कोई महिला हो तो वह आसंदी पर रहे. श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि हम आसंदी और संसदीय कार्यमंत्री महोदय के प्रस्ताव से सहमत है".

(17) श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री की मांगों पर दिनांक 16 मार्च, 2016 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(4) श्रीमती पारूल साहू केशरी
(5) श्रीमती शकुन्तला खटीक
(6) श्रीमती संगीता चारेल
(7) श्रीमती शीला त्यागी
(8) श्रीमती ममता मीना

**सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनिस) पीठासीन हुईं.**

(9) श्रीमती चन्दा सिंह गौर

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(10) श्रीमती उमादेवी खटीक
(11) श्रीमती योगिता बोरकर
(12) श्रीमती ललिता यादव

(श्रीमती अर्चना चिटनिस, सभापति महोदया ने उल्लेख किया कि - "मैं आज माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी को आमंत्रित करने से पहले कुछ 2-3 बातें अपनी ओर से भी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं. जब हम महिला बाल विकास की बात करते हैं तो हम महिलाओं के कल्याण की बात नहीं करते, हम संपूर्ण जगत के कल्याण की बात करते हैं और सबसे बड़ा जो संकट महिलाओं के सामने होता है वह यह होता है कि अगर उनको हर बात के लिये पुरूषों के आगे हाथ फैलाना पड़ें, हर छोटी बड़ी आवश्यकता के पीछे उनको कहीं न कहीं मांगना पड़े, अगर ईश्वर और महिला बाल विकास मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही चीज महिलाओं के लिये कर सकें तो महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाना, महिलाओं का सबसे बड़ा महिलाओं के ऊपर किया गया अनुग्रह होगा, उनके साथ में बड़ा सपोर्ट होगा. कहा गया है कि -

Life is bitter to the very bone, if you are Women poor and alone.

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और ग्रामोद्योग इन सबके साथ कोऑर्डीनेट कर महिलाओं की ट्रेनिंग भी करें, उनको हम स्किल्ड भी करें ओर उनके बनाये गये उत्पाद के लिये मार्केटिंग की व्यवस्था बनायें तो महिलाओं को परिवार और सरकार पर आश्रित होने की आवश्यकता ही कम से कम होगी. महिलाओं की आजीविका की तरफ अधिक से अधिक हम अगर उनको सेल्फ डिपेन्डेन्ट बनाने के लिये हम महती काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हम देश और दुनिया के सामने रख सकेंगे. वैसे मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया गया है, देश उसका अनुकरण कर रहा है. मैं आदरणीय माया सिंह जी को आमंत्रित करने से पहले यह कहूंगी कि हम मोटर साइकिल पर बैठे हुये पुरूष की कल्पना करते हैं, हम जीप या कार चलाते हुये पुरूष की कल्पना करते हैं, हम घोड़ा चलाते हुये भी पुरूष की कल्पना करते हैं पर शेर पर बैठी हुई हम केवल महिला की ही कल्पना कर सकते हैं. मैं माया सिंह जी को कहती हूं कि वह अपनी मांगों पर अपनी चर्चा आगे बढ़ायें".

(10) श्रीमती रंजना बघेल

श्रीमती माया सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(18) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या – 21 | लोक सेवा प्रबन्धन के लिए एक सौ बत्तीस करोड़, बासठ लाख, बावन हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या – 36 | परिवहन के लिए एक सौ बत्तीस करोड़, चालीस लाख, तिरेपन हजार रुपये, तथा |
| अनुदान संख्या – 46 | विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए एक सौ चौहत्तर करोड़, बत्तीस लाख, आठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय. |

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए**

(1) श्री निशंक कुमार जैन

## 11. अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य द्वारा आसंदी का आदेश न मानने पर राज्यमंत्री संसदीय कार्य द्वारा निन्दा प्रस्ताव लाने विषयक**

श्री निशंक कुमार जैन ने आसंदी की अनुमति के बिना लगातार भाषण किया गया इस पर श्री शरद जैन, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य द्वारा निन्दा प्रस्ताव कर उल्लेख किया कि "जो व्यवहार श्री निशंक कुमार जैन माननीय सदस्य ने प्रकट किया है खासकर आसंदी के सामने, वह निश्चित रुप से निंदनीय है आसंदी का आदेश उनको मानना चाहिये और उनका बार-बार यह कहना कि मैं तो बोलकर रहूंगा यह संपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देने वाला है इसकी निंदा होना चाहिये. कल भी एक सदस्य का आचरण ठीक नहीं था उसको भी प्रोत्साहन देने का काम किया गया और आज भी एक सदस्य के द्वारा ठीक व्यवहार नहीं किया गया ऐसे सदस्य को प्रोत्साहन देने का काम उचित नहीं है".

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि उनकी बात इनकम्पलीट थी, उसे वे पूरी करना चाह रहे थे लेकिन यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं और आपने व्यवस्था भी दे दी है.

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – श्री बाला बच्चन आपने भी सुना है कि माननीय सदस्य ने कहा कि "मैं तो बात कहकर रहूंगा" इस तरह से यहां व्यवहार नहीं होता है यह आम सभा नहीं है यह विधान सभा है कृपा करके आप अपने सदस्यों को अनुशासित रखें और जो निंदा प्रस्ताव संसदीय कार्य राज्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया उसके पूर्व चूंकि माननीय सदस्य श्री निशंक कुमार जैन द्वारा खेद व्यक्त कर दिया है. इसलिये यह बात यहीं समाप्त की जानी चाहिए भविष्य में श्री निशंक द्वारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए.

## 12. वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री रामेश्वर शर्मा
(5) श्री जितू पटवारी
(6) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

## 13. अध्यक्षीय घोषणा

**विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन विषयक**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 (2) के अधीन अध्यक्ष नियत दिनों के अंतिम दिन 4.00 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो कि अध्यक्ष पहले से ही निश्चित कर दे, अनुदानों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये आवश्यक प्रश्न रखेगा. चूंकि कार्य मंत्रणा समिति के सदन में प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आज दिनांक 17.3.2016 तक सभा की बैठक सायं 7.00 बजे तक निर्धारित की गई हैं. माननीय सदस्यों के अनुरोध पर सभी विभागों की मांगों पर चर्चा कराई जाना है.

अतः अनुदान की सभी मांगों पर मतदान संबंधी कार्य संपादित होने के तत्काल बाद "मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया जायेगा.

## 14. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(19) डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या – 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए चार हजार तीन सौ छियासी करोड़, अठारह लाख, चौबीस हजार रुपये, |
| अनुदान संख्या – 28 | राज्य विधान मण्डल के लिए अस्सी करोड़, इक्यानवे लाख, पच्चीस हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या – 38 | आयुष के लिए चार सौ दो करोड़, बारह लाख, पैंसठ हजार रुपये, |
| अनुदान संख्या – 72 | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए एक सौ दस करोड़, सतहत्तर लाख, इक्यावन हजार रूपये तथा |
| अनुदान संख्या – 73 | चिकित्सा शिक्षा के लिए छः सौ निन्यानवे करोड़, चौरासी लाख, बयालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाय. |

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल
(2) श्री रूस्तम सिंह

## 15. स्वागत उल्लेख

राव उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर श्री यशपाल सिंह सिसोदिया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से स्वागत किया गया.

## 16. वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री शैलेन्द्र जैन
(5) श्री गोवर्धन उपाध्याय

(6) श्री रामेश्वर शर्मा
(7) श्री हरदीप सिंह डंग
(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) श्री गिरीश भण्डारी
(10) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(11) श्री दिनेश राय
(12) श्रीमती ऊषा चौधरी
(13) श्री आरिफ अकील
(14) श्री सुदर्शन गुप्ता
(15) श्री सुखेन्द्र सिंह
(16) श्री बहादुर सिंह चौहान
(17) श्री कमलेश्वर पटेल
(18) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(19) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(20) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(21) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया

सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

(22) श्री अमर सिंह यादव
(23) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(24) श्रीमती शीला त्यागी
(25) श्री हेमन्त खण्डेलवाल
(26) श्री के.के. श्रीवास्तव
(27) श्री नारायण सिंह पंवार
(28) श्री इन्दर सिंह परमार
(29) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(30) श्री रामलल्लू वैश्य
(31) श्रीमती सरस्वती सिंह
(32) श्री विष्णु खत्री
(33) चौधरी चन्द्रभान सिंह
(34) श्री प्रदीप अग्रवाल
(35) श्री प्रहलाद भारती

डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(20) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या – 14 | पशुपालन के लिए सात सौ पचासी करोड़, सत्ताईस लाख, छप्पन हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या – 16 | मछली पालन के लिए उनहत्तर करोड़, तेरह लाख, पैंतालीस हजार रुपये, |
| अनुदान संख्या – 20 | लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी के लिए एक हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़, सतहत्तर लाख, छियालीस हजार रूपये |
| अनुदान संख्या – 29 | विधि और विधायी कार्य के लिए आठ सौ उनचास करोड़, बीस लाख, इक्यावन हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या – 50 | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए पांच सौ दो करोड़, बावन लाख, सत्रह हजार रूपये तथा |
| अनुदान संख्या – 56 | ग्रामोद्योग के लिए दो सौ छिहत्तर करोड़, बाईस लाख, पचपन हजार रूपये तक की राशि दी जाय. |

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

## 17. अध्यक्षीय घोषणा

### (1) सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से अनुदान की मांगों की मांगों पर मतदान पूर्ण होकर एवं विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

### (2) माननीय सदस्यों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोजन व्यवस्था विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो जायेगी उसके बाद विधान सभा भवन स्थित मानसरोवर सभागार में माननीय सदस्यों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. कार्यक्रम में सुश्री कस्तूरी पटनायक द्वारा ओडिसी नृत्य तथा सुश्री सुनन्दा शर्मा द्वारा सूफी गायन की प्रस्तुति की जायेगी. कार्यक्रम के उपरान्त रात्रि भोज भी आयोजित है. सभी माननीय सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोज में सम्मलित होने का कष्ट करें.

## 18. वर्ष 2016-2017 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(2) श्री दिलीप सिंह परिहार
(3) श्री गोवर्धन उपाध्याय
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री इन्दर सिंह परमार
(7) श्री सुखेन्द्र सिंह
(8) श्री दिनेश राय
(9) श्री हेमन्त खण्डेलवाल
(10) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(11) श्री के.के. श्रीवास्तव

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 19. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

अपराह्न 7.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 (28 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भगवानदेव ईसरानी,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल:**
**दिनांक: 17 मार्च, 2016**